

समस्त पत्र-व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्रवाई सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : इन्डिपेंडेंटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर-452001

कमांक: सं.वि.क./छा.सं.चु./2017-18/192

दिनांक:- 20/11/017

प्रति,

1. प्राचार्य/संरक्षक
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
जिला इन्दौर
2. समस्त निर्वाचन अधिकारी
जिला इन्दौर
(कार्यालय माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर द्वारा
जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 19.11.2017 में मनोनीत निर्वाचन अधिकारी)

विषय- द्वितीय चरण छात्र संघ निर्वाचन 2017-18 की बैठक के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 20 नवम्बर से 27 नवम्बर 2017 तक आयोजित होने वाले छात्र संघ निर्वाचन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन देने हेतु बैठक का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर स्थित ऑडिटोरियम में दिनांक 22.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे किया गया है।

बैठक में अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर, प्राचार्य/प्राचार्या शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के साथ मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सुश्री अलका डेविड, निर्वाचन कार्य के मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहेंगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव/नोडल अधिकारी

अधिरत . . . 2 पर

पृ. क्रमांक: सं.वि.क./छा.सं.चु./2017-18/192

दिनांक:- 20/11/017

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
02. सुश्री अलका डेविड, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
03. प्राचार्य/प्राचार्या शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, धार/झाबुआ/बडवानी/खण्डवा/खरगोन/बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।
04. प्राचार्य/प्राचार्या गैर अनुदान प्राप्त (अशासकीय) महाविद्यालयों, जिला इन्दौर की ओर इस अनुरोध के साथ कि छात्र संघ निर्वाचन मार्गदर्शिका 2017-18 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार छात्र संघ निर्वाचन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होने विषयक ।
05. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल ।
06. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, की ओर सूचनार्थ ।
07. कलेक्टर, जिला इन्दौर, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
08. पुलिस उप महानिरीक्षक जिला इन्दौर, की ओर सूचनार्थ ।
09. नोडल अधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु गठित समिति की समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ ।
10. विभागाध्यक्ष, आई.टी.सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
11. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण